अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

1) 2017-00091RAAJu2017-073RTA223

पनाराम पुत्र जेठाराम सिरवी
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया
आदर्श नगरी स्कूल के पास बिलाडा
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. पुरखाराम पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
2. लच्छाराम पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
3. भंवरलाल पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
4. चुनी पुत्री जेठाराम पत्नी भूराराम सिरवी जरिये कायममुकामान--
   - **a.** नारायणराम पुत्र भूराराम सिरवी
   - **b.** जयराम पुत्र भूराराम सिरवी के कायममुकामान --
     - **i.** मांगीदेवी पत्नी जयराम सिरवी
     - **ii.** राकेश पुत्र जयराम सिरवी
     - **iii.** चन्द्रिका पुत्री जयराम सिरवी
   - **c.** गोपाराम पुत्र भूराराम सिरवी
   - **d.** रामलाल पुत्र भूराराम सिरवी
   - **e.** सोहनी देवी पुत्री भूराराम सिरवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

सभी निवासी बेरा बागवानजी की ढिमडी,
खारिया मीठापुर, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

5. धापु पुत्री जेठाराम पत्नी लिखमाराम सिरवी
निवासी बेरा गुंजावा नगर के पास, बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
6. ढगलाराम पुत्र मोतीराम सिरवी राठौड,
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
7. बाबुडी पुत्री मोतीराम पत्नी भंवरलाल सिरवी,
निवासी बेरा आगलेचो की ढीमडी,
उचियाडा, बिलाडा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
8. तहसीलदार बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
9. कमलादेवी पत्नी ओगडराम कुमावत,
निवासी बिरामपुर, तहसील जैतारण
जिला पाली
10. तुलछाराम पुत्र जेठाराम उर्फ पुरखाराम सिरवी,
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा दिनांक 14 जुलाई 2017 राजस्व वाद संख्या 10/2012 तुलछाराम बनाम पुरखाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री मोहनलाल सिरवी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

श्री जगदीश कच्छवाह, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन
श्री कानसिंह पंवार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या चार व पांच
श्री अरुण दाधिच, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः व सात
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या आठ
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या नौ
श्री अभिषेक मिर्धा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या दस

2) 2017-00091RAAJu2017-072RTA223

तुलसाराम पुत्र करनाराम सिरवी
निवासी काला पीपल की ढाणी
तहसील रोहट, जिला पाली

----- अपीलाण्ट

ब

ना

म

1. पुरखाराम पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
2. पनाराम पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
3. लच्छाराम पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
4. भंवरलाल पुत्र जेठाराम सिरवी
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

5. चुनी पुत्री जेठाराम पत्नी भूराराम सिरवी जरिये कायममुकामान--
    - **a.** नारायणराम पुत्र भूराराम सिरवी
    - **b.** जयराम पुत्र भूराराम सिरवी के कायममुकामान --
        - **i.** मांगीदेवी पत्नी जयराम सिरवी
        - **ii.** राकेश पुत्र जयराम सिरवी
        - **iii.** चन्द्रिका पुत्री जयराम सिरवी
    - **c.** गोपाराम पुत्र भूराराम सिरवी
    - **d.** रामलाल पुत्र भूराराम सिरवी
    - **e.** सोहनी देवी पुत्री भूराराम सिरवी

      सभी निवासी बेरा बागवानजी की ढिमडी,
      खारिया मीठापुर, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
6. धापु पुत्री जेठाराम पत्नी लिखमाराम सिरवी
   निवासी बेरा गुंजावा नगर के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
7. ढगलाराम पुत्र मोतीराम सिरवी राठौड,
   निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
   आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
8. बाबुडी पुत्री मोतीराम पत्नी भंवरलाल सिरवी,
   निवासी बेरा आगलेचो की ढीमडी,
   उचियर्डा, बिलाडा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
9. तहसीलदार बिलाडा,
   तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर
10. कानाराम पुत्र मालाराम सिरवी के कायममुकामान --
    - **a.** पानी पत्नी कानाराम सिरवी
    - **b.** गोविन्द पुत्र कानाराम सिरवी
    - **c.** ओमप्रकाश पुत्र कानाराम सिरवी
    - **d.** अणदायी पुत्री कानाराम सिरवी
    - **e.** कमला उर्फ कालीदेवी पुत्री कानाराम सिरवी
    - **f.** पपली पुत्री कानाराम सिरवी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

g. पुष्पा उर्फ पुसीया पुत्री कानाराम सिरवी

11. लक्ष्मणराम पुत्र मालाराम सिरवी, निवासी काला पीपल की ढाणी, तहसील रोहट, जिला पाली

12. दाखु पत्नी मालाराम सिरवी के कायममुकामान--

13. गिरधारी पुत्र पूनाराम सिरवी, निवासी काला पीपल की ढाणी, तहसील रोहट, जिला पाली

14. शान्ति पुत्री पूनाराम सिरवी, निवासी काला पीपल की ढाणी, तहसील रोहट, जिला पाली 76289 28407 4466199230

15. लीला पुत्री पूनाराम सिरवी, निवासी काला पीपल की ढाणी, तहसील रोहट, जिला पाली

16. गीता पुत्री पूनाराम सिरवी,
निवासी काला पीपल की ढाणी,
तहसील रोहट, जिला पाली

17. जीमनी पत्नी पूनाराम सिरवी,
निवासी काला पीपल की ढाणी,
तहसील रोहट, जिला पाली

18. ढगलाराम पुत्र करनाराम सिरवी,
निवासी काला पीपल की ढाणी,
तहसील रोहट, जिला पाली

19. देवराज पुत्र जोगाराम सिरवी,
निवासी काला पीपल की ढाणी,
तहसील रोहट, जिला पाली

20. भूरी पत्नी जोगाराम सिरवी के कायममुकामान--

a. देवाराम पुत्र जोगाराम सिरवी

b. कमली पुत्री जोगाराम सिरवी

c. कूकली पुत्री जोगाराम सिरवी
निवासीगण काला पीपल की ढाणी,
तहसील रोहट, जिला पाली

21. कालूराम पुत्र हुकमाराम सिरवी,
निवासी काला पीपल की ढाणी,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

तहसील रोहट, जिला पाली

22. सुरेश पुत्र बेनाराम नाबालिग जरिये
कुदरती वलिया माता सुशीला पत्नी बेनाराम,
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

23. सुशीला पत्नी बेनाराम,
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरीया,
आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

24. नारायणराम पुत्र तारा

25. किशनाराम पुत्र दूदा के कायममुकामान-

a. गंगा पत्नी किशनाराम सिरवी,
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरिया,
आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

b. भंवरी पुत्री किशनाराम सिरवी पत्नी तेजाराम सिरवी,
निवासी बेरा निम्बडिया, भोमिया जी का थान के पास,
बिलाडा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

26. दयाराम पुत्र पुनाराम सिरवी राठौड,
निवासी बेरा धूम्बा राजकीय अस्पताल के पीछे,
बिलाडा, तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

27. तुलछाराम पुत्र जेठाराम उर्फ पुरखाराम सीरवी राठौड
निवासी बेरा ठाकुरजी का भेवरिया,
आदर्श नगरी स्कूल के पास, बिलाडा,
तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा दिनांक 14 जुलाई 2017 राजस्व वाद संख्या 10/2012 तुलछाराम बनाम पुरखाराम इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री एन.के. चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री मोहनलाल सिरवी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 01 से 04, 06, 12 व 13 से 19
श्री कानसिंह पंवार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 05, 11, 13, 24, 25, 26
श्री अरुण दाधिच, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 07 व 08
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 09
श्री अभिषेक मिर्धा, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 27

नि र्ण य

दिनांक : 02 जून 2020

विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाडा द्वारा राजस्व वाद संख्या 10/2012 तुलछाराम बनाम पुरखाराम व अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14 जुलाई 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अदालत हाजा के समक्ष अपीलाण्ट पनाराम पुत्र जेठाराम सिरवी में दिनांक 12 सितम्बर 2017 को एवं अपीलाण्ट तुलसाराम पुत्र करनाराम सिरवी ने दिनांक 22 अगस्त 2017 को अपील प्रस्तुत की है। चूंकि इन दोनों अपीलाण्ट्स द्वारा अलग-अलग प्रस्तुत इन दोनों अपीलों से संबंधित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी, मूल वाद, मूल वाद की विषय-वस्तु इत्यादि एक ही है, अतः इन दोनों अपीलों का निस्तारण उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति से इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित पत्रावली में संलग्न रखी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. तुलछाराम पुत्र जेठाराम उर्फ पुरखाराम सिरवी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 व 188 के तहत एक राजस्व वाद राजस्व ग्राम बिलाडा चक-3 स्थित आराजी खसरा संख्या 500/2 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 500/3 रकबा 02 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 501/1 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा 15 बिस्वांसी एवं खसरा संख्या 503 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा 15 बिस्वांसी कुल किता 4 रकबा 15 बीघा 03 बिस्वा 10 बिस्वांसी में अपना हिस्सा होना जाहिर करते हुए पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 कमशः ढगलाराम व बाबुडी पिसरान मोतीराम की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 183, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 कमशः पुरखाराम, पन्नाराम पिसरान रावतराम, पुरखाराम, पन्नाराम, लच्छाराम, भंवरलाल पिसरान जेठाराम की ओर से धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तथा प्रतिवादिनी संख्या 10 कमलादेवी पत्नी ओगडराम की ओर से धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उक्त वाद का जबाब एवं काउण्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित करते हुए प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 के खिलाफ स्वीकार किया जाकर, प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम वादी के खिलाफ स्वीकार किया जाकर तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम वादी के खिलाफ अस्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजियात में से 05 बीघा 13 बिस्वा 15 बिस्वांसी भूमि का प्रतिवादीगण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

संख्या 03 से 06 को, 03 बीघा 15 बिस्वा 20 बिस्वांसी भूमि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 को तथा 12 बिस्वा भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 को खातेदार घोषित कर दिया। बकाया भूमि में से 02 बीघा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 10 के नाम से तथा 03 बीघा 01 बिस्वा 16 बिस्वा भूमि जो प्रतिवादी संख्या 7 व 8 के नाम खातेदारी में दर्ज थी, को यथावत रखा। उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के खिलाफ आलौच्य अपीलें पेश की गयी है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्तागण अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से पांच को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व कैम्प में अन्तिम डिकी जारी कर दी गयी और अपीलाण्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। अपीलाण्ट के अधिवक्ता को जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25 अप्रेल 2017 को ही उपस्थित होकर प्रकरण की पत्रावली में आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर कर वकालतनामा पेश कर दिया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष प्रस्तुत वाद एवं काउण्टर क्लेम आदि के आधार पर कोई तनकियात आदि कायम नहीं की गयी और न ही पक्षकारान के विधिवत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य ली गयी। दिनांक 04 जुलाई 2017 की आदेशिका अनुसार "वकुलाय उपस्थित। आज पी.ओ. साहब कार्य सरकार दौरे पर है दीगर कार्यो में व्यस्त है अवकाश पर है ... पत्रावली दिनांक 14/7/17 को पेश हो। ... वकील वादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज पेश किये गये, जो शामिल मिसल किये गये ..."। उक्त आदेशिका अनुसार आगामी पेशी 14 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी जिसमें पेशी का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। मगर दिनांक 14 जुलाई 2017 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

अपीलाधीन निर्णय व डिकी पारित कर दिये गये, जिसमें यह भी वर्णित किया गया है कि " ..... वादी के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जा चुकी है ..."। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट एवं रेस्पो. संख्या एक से तीन के अधिवक्तागण की उपस्थिति दर्शायी गयी है, जबकि अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने की दिनांक 14 जुलाई 2017 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त दोनों अधिवक्तागण उपस्थित ही नहीं हुए थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी 60 साल पूर्व गिफ्ट किये जाने संबंधित गम्भीर तथ्यों का वर्णन, बिना किसी साक्ष्य सबूत के करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो किसी भी स्थिति में बहाल रखे जाने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जवाब में रेस्पो. पक्ष की ओर से भी अपीलाधीन निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही में रही भूलों एवं अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी के वाद का प्रतिवादीगण संख्या 7 व 8 कमशः ढगलाराम व बाबुडी पिसरान मोतीराम की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53, 183, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत, प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 कमशः पुरखाराम, पन्नाराम पिसरान रावतराम, पुरखाराम, पन्नाराम, लच्छाराम, भंवरलाल पिसरान जेठाराम की ओर से धारा 53 व 188

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तथा प्रतिवादिनी संख्या 10 कमलादेवी पत्नी ओगडराम की ओर से धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत उक्त वाद का जबाब एवं काउण्टर क्लेम पेश किया गया। निर्धारित विधिक प्रक्रिया के अनुसार नियमित वाद का जबाब एवं काउण्टर क्लेम पेश होने पर दावे जबाब एवं काउण्टर क्लेम के आधार पर मामले में तनकियात कायम की जाकर पक्षकारान को साक्ष्य-सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर उनकी सुनवाई के बाद प्रस्तुत साक्ष्य सबूत के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना चाहिये। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में ऐसा नही किया गया है, अपितु दिनांक 16 जून 2017 की आदेशिका के अनुसार प्रकरण में प्रतिवादिनी चुन्नी के कायममुकामान को अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही किये जाने हेतु वकील वादी को निर्देशित किया गया, प्रतिवादी संख्या 6, 10 व 23 से 27 तक के नोटिस वादी के निवेदन पर पंजीबद्ध डाक से भेजे जाने की अनुमति दी गयी और आईन्दा तारीख पेशी 04 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी। दिनांक 04 जुलाई 2017 की आदेशिका के अनुसार आगामी पेशी 14 जुलाई 2017 मुकर्रर की गयी जिसमें पेशी का प्रयोजन स्पष्ट नहीं है। उक्त आदेशिका इस प्रकार है -

"वकुलाय उपस्थित। आज पी.ओ. साहब कार्य सरकार दौरे पर है दीगर कार्यो में व्यस्त है अवकाश पर है ... पत्रावली दिनांक 14/7/17 को पेश हो। ... वकील वादी द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व फेहरिस्त अनुसार दस्तावेज पेश किये गये, जो शामिल मिसल किये गये।"

इसके बाद दिनांक 14 जुलाई 2017 की आदेशिका में अधिवक्ता वादी की अनुपस्थिति लिखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2017-00019RAAJu2017-072RTA223Tulasaram Vs Purakharam etc

गया। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय किसी भी दृष्टि से प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप एवं निर्धारित न्यायिक प्रकिया का अनुसरण किये बिना पारित किया है जो एक न्यायिक निर्णय की श्रेणी में रखे जाने योग्य न्यायोचित एवं विधिसम्मत निर्णय नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं उसके अनुसरण में पारित डिकी दिनांक 14 जुलाई 2017 अपास्त किये जाते है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात बाबत वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज काश्तकार व्यक्तियों समेत सभी आवश्यक पक्षकारान को अभिलेख पर लिये जाने की कार्यवाही करते हुए निर्धारित विधिक प्रकिया की पालना सुनिश्चित कर न्यायोचित एवं विधिसम्मतः निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

2/6/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर